कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सूचना प्रणाली खंड के आंकड़ा प्रसंस्करण शाखा में आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर ग्रेड 'डी' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सूचना प्रणाली खंड (आंकड़ा प्रसंस्करण शाखा), आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर ग्रेड 'डी' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. आरंभिक गठन.— (i) इन नियमों के प्रारंभ पर आंकड़ा प्रसंस्करण शाखा में नियमित पद धारण करने वाले सभी विद्यमान अधिकारी अपनी अपनी सेवा के सदस्य होंगे,

(ii) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उप नियम (i) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित सतत सेवा, सेवा में प्रोन्नति और पेंशन के लिए ज्येष्ठता अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी,

(iii) तत्कालीन आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर ग्रेड 'बी' जो नियमित सेवा के 6 वर्ष के पूरा होने पर आंकडा प्रविष्टि आपरेटर ग्रेड 'डी' की श्रेणी के साथ विलय किए गए है, की प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए, अर्हक सेवा विलय की तारीख से गिनी जाएगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर ग्रेड 'डी'	32* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 6 (35400 - 112400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के

					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए कम से कम गति परीक्षण 15000 कुंजी दाब प्रति घंटा जो कम्प्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से निश्चित किया जाएगा। **टिप्पण** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) के स्तर-5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो। (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय पुष्टि (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा के भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (सूचना प्रणाली खंड का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 39021/02/2015-स्था.(ख)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

टिप्पण : ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें तथापि नियम 5 विद्यमान पदधारियों की सेवा को विनियमित करने की दृष्टि के साथ भूतलक्षी प्रभाव में प्रवृत्त होंगे और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 5th February, 2019

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'D' in the Data Processing Branch of the Information System Wing in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Data Entry Operator Grade 'D' (Data Processing Branch) Information System Wing Recruitment Rules, 2019.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution.— (i) All existing officers holding regular posts in Data Processing Branch, on the commencement of these rules shall be the member of the Service in the respective grades.

(ii) The regular continuous service of officers referred in sub-rule (i) before the commencement of these rules shall count for the purpose of seniority, qualifying service for promotion and pension in service.

(iii) The qualifying service for promotion or deputation of erstwhile Data Entry Operator Grade 'B', who on completion of 06 years of regular service have been merged with the grade of Data Entry Operator Grade 'D' shall be counted from the date of merger.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Entry Operator Grade 'D'.	32* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government from time to time.)

					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science from a recognized university or institute. (ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on Computer. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified	Not applicable.	Two years for Direct Recruits	**By Direct Recruitment.** **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of central government: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre /department; or (ii) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5 of the pay matrix (Rs.29200-92300) (B) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.)	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :- 1. Secretary, Union Public Service Commission -Chairman 2. Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission -Member 3. Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 39021/02/2015-Estt.(B)]

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. However, rule 5 shall come into force from retrospective effect with a view to regularise the services of the existing incumbents and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, no one is likely to be adversely affected.

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (बाह्य काडर पद) भर्ती नियम, 1959 का अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध सहायक नियन्त्रक (आंकड़ा प्रसंस्करण) और अधीक्षक (आंकड़ा प्रसंस्करण) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सूचना प्रणाली खंड के आंकड़ा प्रसंस्करण शाखा में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, ग्रेड 'जी' और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'ई' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'जी' और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'ई' (सूचना प्रणाली खंड की आंकड़ा प्रसंस्करण शाखा) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति. –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'जी'	03* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 10 वेतन मैट्रिक्स (56100 -177500 रुपय)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसा आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'ई' जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान जैसे सी-डैक, एन आई सी आदि से पीएचपी या जावा या एएसपी.नेट और एसक्यूएल या ओरीकल या पोस्टग्रेस में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी अथवा स्वायत्त निकाय संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) मूल काडर/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) में सदृश पदों पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में क्रमशः 3 वर्ष अथवा 2 वर्ष के साथ ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते है : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री अथवा एम एस सी (कंम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंम्प्यूटर इंजीनियर या कम्प्यूटर विज्ञान

	या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कंम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. /बी.टेक., और (ii) पीएचपी या जावा या एएसपी.नेट का प्रयोग करने वाले वास्तविक साफ्टवेयर विकास में 3 वर्ष की पश्च अर्हता अनुभव रखते हो तथा सरकारी कार्यालय/पी एस यू / स्वायत्त निकाय / कानूनी निकाय / किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में डेटाबेस जैसे एम वाय एस क्यूएल या एसकयूएल अथवा ओरीकल या पोस्टग्रेस डेटाबेस में डेटाबेस का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1.** प्रतिनियुक्त की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (सूचना प्रणाली खंड का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य **समूह "क" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :** 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, (प्रशासन का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव, (सूचना प्रणाली खंड का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'ई'	14* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 7 (44900-142400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में ऐसा आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक ग्रेड 'डी' जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान जैसे सी-डैक, एन आई सी आदि में निम्नलिखित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो: (i) पीएचपी या जावा या एएसपी.नेट या एसक्यूएल या ओरीकल या पोस्टग्रेस में चार सप्ताह, (ii) नेटवर्क सुरक्षा सहित नेटवर्क प्रबंधन प्रशिक्षण में दो सप्ताह ।

टिप्पण 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी अथवा स्वायत्त निकाय संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; अथवा

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में पदों पर नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में 5 वर्ष के साथ ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते है :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा कंम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री;

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंम्प्यूटर इंजीनियर या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कंम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. / बी.टेक.

और

(ii) पीएचपी या जावा या एएसपी.नेट का प्रयोग करने वाले वास्तविक सॉफटवेयर विकास में 2 वर्ष की पश्च अर्हता अनुभव रखते हो तथा सरकारी कार्यालय/पी एस यू / स्वायत्त निकाय / कानूनी निकाय / किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में डेटाबेस जैसे एम वाय एस क्यू एल या एसकयूएल अथवा ऑर्केल अथवा पोस्टग्रेस डेटाबेस में डेटाबेस का अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन शाखा का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (सूचना प्रणाली खंड का भार साधक), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 39021/02/2015-स्था.(ख.)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 5th February, 2019

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of Union Public Service Commission (Ex-Cadre posts) Recruitment Rules, 1959, in so far as they relate to the posts of Assistant Controller (Data Processing) and Superintendent (Data Processing), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Data Entry Operator Grade 'G' and Data Entry Operator Grade 'E' in the Data Processing Branch of the Information System Wing in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Data Entry Operator Grade 'G' and Data Entry Operator Grade 'E' (Data Processing Branch of Information System Wing) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Data Entry Operator Grade 'G'	3* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level -10 (Rs.56100-177500)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract)

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(11)
<u>Promotion</u> Data Entry Operator Grade 'E' in Level- 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade and having successfully completed four weeks training in the PHP or JAVA or ASP.Net and SQL or ORACLE or POSTGRES from Government recognised Institutes such as C-DAC, NIC etc. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognized Research Institute or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisation:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with 3 years' or 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) respectively or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing following educational qualifications and experience :

(i) Master's Degree in Computer Applications or M.Sc (Computer Science or Information Technology) from a recognized University/Institute; or

B.E./B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science & Engineering or Information Technology from a recognized University or Institute, and

(ii) Three years post qualification experience in actual software development using PHP or JAVA or ASP.Net and having experience in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES Data Base in a Government Office/PSU/Autonomous Body/Statutory Body or in any recognized institution.

Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman (2) Secretary, Union Public Service Commission -Member (3) Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-** (1) Secretary, Union Public Service Commission -Chairman (2) Additional Secretary (In charge of Admn), Union Public Service Commission -Member (3) Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Data Entry Operator Grade 'E'	14* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level -7 (Rs.44900-142400)	Selection post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (Incuding Short Term Contract)

(11)

Promotion

Data Entry Operator Grade ‘D’ in the LEVEL-6 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed following training from Government recognized Institutes such as C-DAC, NIC etc:

(i) Four weeks in the PHP or JAVA or ASP .Net and SQL or ORACLE or POSTGRES.

(ii) Two weeks in Network Management Training including Network security.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognized Research Institute or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisation:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with 5 years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing following educational qualificat ions and experience :

(i) Master’s Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognized University or Institute; or

B.E./B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognized University or Institute.

and,

(ii) Two years post qualification experience in actual software development using PHP or JAVA or ASP.Net and having experience in database such as MYSQL or SQL or ORACLE or POSTGRES Data Base in a Government Office or PSU or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized institution.

Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (Including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Secretary, Union Public Service Commission -Chairman 2. Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission -Member 3. Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 39021/02/2015-Estt.(B)]
PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उसका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सांख्यिक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सांख्यिक),भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।